रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 3 मई, 1976
वैशाख 13, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 1796/17वि0-1--123-75
लखनऊ, 3 मई, 1976

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 1 मई, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1976]
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रेतर संशोधन करने के लिय अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) यह 3 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:--

"(च) उत्तर प्रदश जल-सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल-निगम का प्रबन्ध निदेशक, पदेन;"

अध्याय 3-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"अध्याय 3-क

विकास क्षेत्रों में मुख्य सड़क

मुख्य सड़कों से संसक्त कतिपय भवनों के अग्रभाग का अनुरक्षण और सुधार

12—क (1) जहां किसी विकास क्षेत्र में पूर्णतः अनावासिक प्रयोजनों के लिए या अंशतः आवासिक और अंशतः अनावासिक प्रयोजनों के लिए अधिभुक्त कोई भवन किसी मुख्य सड़क से संसक्त हो, वहां ऐसे भवन का अधिभोगी अपने खर्च पर उस निमित्त बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसे भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने के लिए बाध्य होगा ।

(2) जहां प्राधिकरण किसी रंग-व्यवस्था या उस निमित्त अन्य विनिर्दिष्टियों की समरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, या जहां कोई अधिभोगी उपधारा (1) के अनुसार किसी भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने में असफल रहता है, वहां प्राधिकरण आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निदेशाधीन किया जायगा, और तद्नुसार अधिभोगी द्वारा प्राधिकरण को ऐसे कार्य के खर्च का भुगतान करने की भी अपेक्षा कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के खर्च की गणना बिना किसी लाभ-हानि के आधार पर की जायगी, और जमा किये जाने के लिए अपेक्षित धनराशि की युक्तियुक्तता के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, और उसके अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य का सम्पूर्ण खर्च या उसका भाग, अधिभोगी द्वारा भुगतान न किये जाने की दशा में, उपाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र पर अधिभोगी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) पद 'मुख्य सड़क' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए उपविधियों में दिया जाय;

(ख) किसी भवन के सम्बन्ध में, पद 'अधिभोगी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके वास्तविक अधिभोग या उपयोग में भवन हो, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) स्वामी (जिस पद के अन्तर्गत अभिकर्त्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर, अधिकर्ता या प्रबन्धक या भवन का भोगबन्धकी भी है) जिसका अधिभोग हो;

(ii) किरायेदार जो तत्सम्बन्धी किराया स्वामी को तत्समय दे रहा हो या देने का उत्तरदायी हो ;

(iii) उसका माफीदार या लाइससी;

(iv) वह व्यक्ति जिसका दायित्व उसके अप्राधिकृत उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिये है ।"

धारा 14 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर, जहां कहीं वह आया हो, शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायगा, और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखा गया समझा जायगा ।

धारा 18 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(i) उपधारा (2) में, शब्द "बन्धक या प्रभार" निकाल दिये जायेंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी ऐसी भूमि पर (जिसके अन्तर्गत उस पर स्थित कोई भवन भी है) भारतीय जीवन बीमा निगम, हाउसिंग ऐण्ड अर्बन डवलपमेण्ट कारपोरेशन या उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित "वैंकिंग कम्पनी" या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक या प्रभार का सृजन कर सकता है ।"

धारा 37 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 37 में, शब्द "प्रत्येक विनिश्चय" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 41 में उपबन्धित का अपवाद करते हुए, प्रत्येक विनिश्चय" रख दिये जायेंगे ।

7—मूल अधिनियम की धारा 41 में,— धारा 41 का संशोधन

(i) शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर, जहां कहीं वह आया हो, शब्द "प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखे गये समझे जायंगे ;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिया गया राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।"

8—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अधिकरण" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जायगा और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखा गया समझा जायगा । धारा 55 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 57 में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :— धारा 57 का संशोधन

"(छछ) मुख्य सड़क की परिभाषा और रंग-व्यवस्था और अन्य विनिर्दिष्टियां जिनके अनुसार ऐसी सड़क से संलग्न भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग धारा 12-क के अधीन की जायगी;" ।

10—मूल अधिनियम की धारा 59 में,— धारा 59 का संशोधन

(i) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित शब्द और अंक अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से बढ़ाए गए समझे जायगे, अर्थात् :—

"और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन कार्यवाहियों के जारी रहने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में निहित होगी ।"

(ii) उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ाई जायेगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्:—

"(14) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 365 में किसी बात के होते हुए भी, किसी सुधार स्कीम के लिये, जिसके सम्बन्ध में कृत्य उपधारा (13) के अधीन विकास प्राधिकरण को सौंपे गये कृत्य समझे जायेंगे, भूमि और भूमि में हित के सभी अर्जन, 31 दिसम्बर, 1977 को या उसके पहले, कम से कम अधि-निर्णय देने के स्तर तक, पूरे किये जायेंगे ।"

11—किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जो कार्य किया गया हो या कार्यवाही की गई हो, जिसके अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (14) में, जिस रूप में वह इस अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया है, निर्दिष्ट सुधार स्कीम के लिए भूमि या भूमि में हित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी करना या आदेश पारित करना या अधिनिर्णय देना या कब्जा करना भी है, वह समझा जायगा कि वह उसी प्रकार विधिमान्य है और सर्वदा रहा है, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त रहे हैं और अग्रेतर कार्यवाही, यदि कोई, जो अपेक्षित हो, तदनुसार की जायगी । बचाव

12—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 4, 1976

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

No. 1796/XVII-V-1—123-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojana Aur Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 1, 1976:

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act No. 19 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973

It is hereby enacted in the Twenty-Seventh Year of the Republic of India, as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 3, 1975.

Amendment of section 4 of President's Act 11 of 1973 as re-enacted by U. P. Act no. 30 of 1974.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), *for* clause (*f*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*f*) the Managing Director of the Jal Nigam, established under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, *ex officio*;".

Insertion of Chapter III-A.

3. *After* Chapter III of the principal Act, the following Chapter shall be *inserted*, namely :—

"Chapter III-A

Arterial Roads in Development Area

Maintenance and improvement of facade of certain buildings abutting arterial roads.

12-A. (1) Where in any development area, any building occupied wholly for non-residential purposes or partly for residential and partly for non-residential purposes abuts an arterial road, the occupier of such building shall be bound to repair, white-wash, colour-wash or paint the facade of such building at his own cost in accordance with any bye-laws made in that behalf.

(2) Where the authority, with a view to ensuring symmetry with any colour-scheme or other specification made in that behalf considers it necessary or expedient so to do, or where any occupier fails to repair, white-wash, colour-wash or paint the facade of any building in accordance with sub-section (1), it may by order require that the said work shall be carried out by the Authority itself or under its direction, and may accordingly, also require the occupier to pay the cost of such work to the Authority.

(3) The cost of any work referred to in sub-section (2) shall be calculated on a 'no profit, no loss' basis, and in case of any dispute about the reasonableness of the amount required to be deposited, the same shall be decided by the State Government, and subject thereto, the order of the Authority shall be final and shall not be called in question in any court.

(4) In case of non-payment by an occupier of the whole or part of the cost of any work referred to in sub-section (2), it shall, on the certificate of the Vice-Chairman, be recoverable from the occupier as arrears of land revenue.

Explanation—In this section—

(*a*) the expression 'arterial road' shall have the meaning assigned to it in the bye-laws;

(*b*) the expression 'occupier', in relation to a building, means the person in actual occupation or use of the building, and includes—

(i) the owner (which expression shall include an agent or trustee or a receiver, sequestrator or manager appointed by a court, or a mortgagee with possession of the building) in occupation;

(ii) the tenant who for the time being is paying or is liable to pay rent in respect thereof to the owner;

(iii) the rent-free grantee or licensee thereof;

(iv) the person who is liable to pay to the owner damages for unauthorised use and occupation thereof.".

Amendment of section 14.

4. In section 14 of the principal Act, *for* the word "Authority" (except where it occurs as part of the expression 'local authority') wherever occurring, the word "Vice-Chairman" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from August 15, 1975.

Amendment of section 18.

5. In section 18 of the principal Act—

(i) in sub-section (2), the words "mortgage or charge" shall be *omitted*;

(ii) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Authority or the local authority concerned may create a mortgage or charge over such land (including any building thereon) in favour of the Life Insurance Corporation of India, the Housing and Urban Development Corporation, or a banking company as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 or any other financial institution approved by general or special order in this behalf by the State Government."

Amendment of section 37.

6. In section 37 of the principal Act, *for* the words "Every decision", the words and figures "Except as provided in section 41, every decision" shall be *substituted*.

Amendment of section 41.

7. In section 41 of the principal Act—

(i) *for* the word "Authority" wherever occurring, the words "Authority, the Chairman or the Vice-Chairman" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from August 15, 1975;

(ii) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from August 15, 1975, namely:—

"(4) Every order of the State Government made in exercise of the powers conferred by this Act shall be final and shall not be called in question in any court."

Amendment of section 55.

8. In section 55 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*b*), *for* the word "Tribunal", the word "Chairman" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from August 15, 1975.

Amendment of section 57.

9. In section 57 of the principal Act, *after* clause (*e*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*ee*) the definition of an arterial road and the colour scheme and other specifications according to which the facade of buildings abutting such road shall be repaired, white-washesd, colour-washed or painted under section 12-A;".

Amendment of section 59.

10. In section 59 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in clause (*a*), the following words and figures shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from August 15, 1975, at the end, namely;

"and for the purpose of continuance of proceedings under the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, the powers of the prescribed authority and the controlling authority under that Act shall vest respectively in the Vice-Chairman and the Chairman.";

(ii) *after* sub-section (13) the following sub-section shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted,* namely :—

"(14) Notwithstanding anything contained in section 365 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, all acquisition of land and interest in land for an improvement scheme the functions in respect of which are to be deemed as functions assigned to the Development Authority under sub-section (13) shall be completed at least up to the stage of making awards on or before December 31, 1977."

Validation.

11. Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, anything done or any action taken before the commencement of this Act, including any notification issued, proceeding taken or order passed or award made or possession taken, in respect of acquisition of land or interest in land for an improvement scheme referred to in sub-section (14) of section 59 of the principal Act, as *inserted* by this Act, shall be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times, and such further proceedings, if any, as may be required, may be taken accordingly.

Repeal and savings.

12. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1976, is hereby repealed. U. P. Ordinance 4 of 1976

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1975, by the Ordinance mentioned in sub-section (1), any thing done or any action taken under the said Ordinances, shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पो० एस० यू० पी०—ए० पी० 55 सा० (विधा०)—1976—750 (मे०)